न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–102/2025
GCMS No.- 2025/116

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		प्रोपराईटर,होटल जय जसनाथ भोजनालय जोधपुर–नागौर हाईवे एनएच –62 रोही खरनाल–नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट श्री शिवराम चौधरी,प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट बाबजूद पर्याप्त तामिल उपस्थित नहीं हुए।

:: निर्णय :: दिनांक :– 07.10.2025

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा 2270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्लास्टिक के ड्रम व समस्त सामग्री को धारा 6ए,आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. अप्रार्थी के नोटिस जरिऐ डाक भेजे गये जिनकी रजिस्ट्रर्ड डाक रसीद एवं ट्रेक रिपोर्ट डाक प्राप्ति की रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न हैं। गैर सायल की पर्याप्त तामिल हो जाने के बावजूद उनके ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि दिनांक 05.05.2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर,नागौर द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के आधार पर श्री अंकित पंचार,जिला रसद अधिकारी,नागौर मय प्रवर्तन स्टॉफ होटल जसनाथ भोजनालय जोधपुर–नागौर हाईवे एनएच. 62 रोही खरनाल पहुचें। मौके पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर,नागौर उपस्थित मिले। थानाधिकारी की तहरीर पर होटल जसनाथ भोजनालय का निरीक्षण किया। होटल के पीछे की तरफ खुलने वाले दरवाजे के दो कमरों में जिसमें कुल प्लास्टिक के ड्रम 17(जिसमें 12 ड्रम भरे हुए एवं 05 ड्रम खाली) जिनकी क्षमता 210 लीटर प्रति ड्रम,03 इलेक्ट्रीक मोटर 0.5 एचपी. जिनके सिरे पर 0.5 इंच पाईप लगभग 10 फीट, 01 इलेक्ट्रीक मोटर क्षमता 0.75 एचपी (Aqua Pump Industries) जिसके दोनों सिरों पर 3 इंच मोटा प्लास्टिक पाईप जिसकी लम्बाई लगभग 12फीट,एक स्टील बाल्टी,कीमा एक एल्युमिनियम कीप छोटा, एक एल्युमिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

कीप 5 लीटर, एक बैरल से डीजल निकालने वाला हस्तचालित पम्प जिसके एक सीरे पर 5 फीट लम्बा 1 इंच मोटा पाईप तीन प्लास्टिक जरीकन 20लीटर,डेनसिटी मापने का हाईड्रोमीटर जिस पर 800–850 लिखा 01,हाईड्रेमीटर जिस पर 700–750 लिखा 01,एक छोटा कांच का जार जिसकी क्षमता 250 एमएल जो घनत्व मापने के काम आता हैं इत्यादि पाये गये। होटल जय जसनाथ की छत पर जाकर निरीक्षण करने पर छत पर 04 प्लास्टिक टंकिया जिनकी क्षमता 1100 लीटर प्रति टंकी रंग सफेद पाई गयी । प्रत्येक टंकियों को ढक्कन से ढका हुआ था। प्रत्येक टंकी आपस में प्लास्टिक पाईप से नीचे से जुड़ी हुई थी जिसके पाईप के एक किनारे पर एक वाल्व लगा हुआ पाया गया और वह पाईप छत से नीचे की तरफ कर रखा था। टंकियों के ढक्कन को खोलकर देखने पर टंकियों से डीजल जैसी बदबू आ रही थी। टंकिया खाली पाई गई। टंकियों के पेंदे में कुछ तरल था,जिसको सूंघने पर डीजल जैसी बदबू आ रही थी। होटल जय जसनाथ पर कोई कर्मचाारी या अन्य व्यक्ति नहीं पाये गये। होटल के कमरे के बाहर एक प्लास्टिक ड्रम पाया गया जो लगभग आधे से ज्यादा पानी से भरा हुआ था। मौके पर पाये गये ड्रमों को खोलकर सुंघने पर डीजल जैसी बदबू आ रही थी।

प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि उपरोक्त पट्रोलियम पदार्थ को मापने हेतु मौके से प्रवर्तन निरीक्षक को भेजकर पास के पेट्रोल पम्प मैसर्स जाखड़ फिलिंग स्टेशन भाकरोद (आईओसीएल पम्प) से राकेश जाजड़ा पुत्र श्री रामकिशोर जाजड़ा,निवासी–अहमदपुरा से घनत्व मापन सम्बन्धी हाईड्रोमीटर,इत्यादि व नमूना सैम्पल हेतु प्रयुक्त होने वाले पात्र मंगवाये गये एवं पास के दूसरे पेट्रोल पम्प से कुछ प्लास्टिक सीले और मंगवाई गई। पीछे स्थित दो कमरों में से एक कमरे जिसमें 02 आधे भरे ड्रमों से कीमे में पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर एक स्वच्छ एल्यूमिनियम बाल्टी में भरा। दोनों ड्रमों से बराबर मात्रा में निकाले गये पेट्रोलियम पदार्थ का घनत्व मापने पर हाईड्रोमीटर में 820 मापन आया,तापमान 28C था जिसका ASTM टेबल पर परिवर्तित कर 15C पर देखने पर घनत्व 829.1Kg/M3 पाया जो कि प्रथम दृष्टया डीजल प्रतीत होता हैं। होटल के पीछे की तरफ खुलने वाले दरवाजे वाले दूसरे कमरे में 10 प्लास्टिक के भरे हुए ड्रमों में से समान मात्रा में एक एल्युमिनियम बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर डेनसिटी ली गई। डेनसिटी मापने पर हाईड्रोमीटर में 836 मापन आया,तापमान 21C था जिसका ASTM टेबल पर परिवर्तिततति कर 15C पर देखने पर घनत्व 829.1KG/M3 घनत्व पाया गया,जो प्रथम दृष्टया डीजल की रेंज में प्रतीत होता हैं। इन 10 प्लास्टिक ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा प्रति ड्रम 210 लीटर अनुसार कुल 2100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल पाया गया। दूसरे कमरे में रखे 2 आधे–आधे भरे प्लास्टिक ड्रमों का डीप रोड़ से मापन करने पर दोनों ड्रमों में कुल 170 लीटर(एक में 90 लीटर,दूसरे में 80 लीटर) पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया।

मौके पर पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ,एल्युमिनियम का छोटा व 5 लीटर क्षमता का जार,ड्रमों से डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ निकालने का पम्प,गाड़ियों में पेट्रोलियम पदार्थ भरने वाला कीप,इलेक्ट्रीक मोटरे जो छत पर सेन्ट्रल प्लास्टिक पाईप (पीयूसी पाईप) से जुड़ी हुई 04 प्लास्टिक टंकियों से टैंकर से भरने मे प्रयुक्त होने,खाली प्लास्टिक के ड्रम एवं घनत्व मापन

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

यंत्र इत्यादि से प्रतीत होता हैं कि होटल जय जसनाथ भोजनालय में पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं विक्रय का कार्य किया जा रहा हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं विक्रय का यह कृत्य Motor Spirit &High Speed Diesel (Regulation of Supply,Distribution and Prevention of Mal-practices) Order 2005 का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। मौके पर पाये गये 2 आधे भरे हुए प्लास्टिक ड्रमों से एक स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टी में निकाले गये पेट्रोलियम पदार्थ से नमूना सैम्पल वास्ते लाये गये 3 एल्युमिनियम पात्रों को उसी पेट्रोलियम पदार्थ से धोकर 1000–1000 एमएल के तीन नूमने लिये गये जिन्हें मार्क ए–1,ए–2 एवं ए–3 देकर कमश प्लास्टिक सील संख्या 3877635, 3877640,3877638 से सील्ड किया गया। मार्का ए–1 को वास्ते एफएसएल,जांच हेतु साथ लिया गया। मार्का ए–2 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, नागौर को सुपुर्द किया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का ए–3 को सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया । दूसरे कमरे में पाये गये 10 प्लास्टिक ड्रमों से एक स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टी में निकाले गये पेट्रोलियम पदार्थ से नमूना सैम्पल वास्ते लाये गये 3 एल्युमिनियम पात्रों को उसी पेट्रोलियम पदार्थ से धोकर 1000–1000 एमएल के तीन नमूने लिये गये जिन्हें मार्क बी–1,बी–2 एवं बी–3 देकर कमश प्लास्टिक सील संख्या 1330855,1330891,1330883 से सील्ड किया गया। मार्का बी–1 को वास्ते एफएसएल,जांच हेतु साथ लिया गया। मार्का बी–2 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर,नागौर को सुपुर्द किया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का बी–3 को सुरक्षित रखने हेतु साथ लिया गया। मौके पर पाये गये 2270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्लास्टिक के ड्रम व समस्त सामग्री को Motor Spirit & High Speed Diesel(Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices)Order2005 का स्पष्ट उल्लघंन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उपरोक्त सामग्री मय पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। मौके पर एक कमरे में पाये गये दो आधे भरे प्लास्टिक के ड्रमों जिसमें एक ड्रम में 90 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया उसे मार्का–ए किया जाकर प्लास्टिक सील संख्या 5248594, 5248572 से सील्ड किया गया। एक दूसरे प्लास्टिक ड्रम में 80 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया उसे मार्का–बी किया जाकर प्लास्टिक सील संख्या 5248511,5248592 से सील्ड किया गया। दूसरे कमरे में पाये गये 10 प्लास्टिक ड्रम जो पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए पाये गये उन्हें मार्का C,D,E,F,G,H,I,J,K,L किया जाकर मार्का C को प्लास्टिक सील संख्या 5298589, 5248583 मार्का D को प्लास्टिक सील संख्या 5248548,5248575,मार्का E को प्लास्टिक सील संख्या 5248585,5248596 मार्का F को प्लास्टिक सील संख्या 5248582,5248599 मार्का G को प्लास्टिक सील संख्या 5248619, 5248676 मार्का H को प्लास्टिक सील संख्या 5248532, 5248597, मार्का 1 को प्लास्टिक सील संख्या 5248639,5248663 मार्का J को प्लास्टिक सील संख्या 4330831,6330894,मार्का K को प्लास्टिक सील संख्या 1330867,448192 एवं मार्का L को प्लास्टिक सील संख्या 3877641, 5248673 से सील्ड किया गया। इस प्रकार डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ से भरे प्लास्टिक ड्रमों

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

को सील्ड किया गया। प्रार्थना–पत्र के संलग्न फर्द में वर्णित समस्त सामग्री मय पेट्रोलियम पदार्थ व मय रिपोर्ट मौके पर उपस्थित थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नागौर को सुपुर्द कर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया।

दौराने बहस प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि गैर सायल बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा हैं तथा हस्तगत प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट आने में समय लगने की पूरी–पूरी संभावना हैं एवं प्रकरण में जब्तसुदा उपर्युक्त 2270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अत्यन्त ज्वलनशील,शीघ्रतया क्षयशील प्रकृति के होने से एवं लोक हित में उक्त पेट्रोलियम एवं डीजल व सामग्री का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में गैर सायल का नोटिस जरिऐ रजिस्टर्ड डाक भेजे जाने के बाद भी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का जबाब प्रस्तुत नहीं किया हैं एवं न ही प्रकरण में जब्त सुदा 2270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री के सम्बन्ध में अपना हक जाहिर किया। प्रस्तुत प्रकरण में जब्त सुदा पेट्रोलियम पदार्थ की एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं तथा एफएसएल रिपोर्ट आने में समय लगने से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। चूंकि जब्त सुदा पेट्रोलियम पदार्थ अत्यन्त ज्वलनशील, शीघ्रतया क्षयशील प्रकृति के होने से एवं लोकहित में उक्त पेट्रोलियम एवं डीजल पदार्थ का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सुदा 2270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य जब्त सुदा सामग्री को समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को आदेश दिया जाता हैं कि जब्त सुदा 2270 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किया जाकर इनसे प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर पालना से अगवत करवाया जावें। इस जमा सुदा राशि का समायोजन का आदेश प्रकरण की एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर